तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	रेफरेन्स/एल.आर./2001/4482/नागौर **सरकार बनाम मूलाराम**	
	एकलपीठ **श्री हरिशंकर गोयल सदस्य** **उपस्थित :–** श्री खुर्शीद अनवर, उप राजकीय अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी **दिनांक : 21 दिसम्बर, 2021** **निर्णय** 1– यह रेफरेन्स न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 14–5–2001 से राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है। 2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार (भू.अ.) लाडनू ने निवेदन किया कि ग्राम बाकलिया में नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत 2006 के अनुसार खसरा नम्बर–469 रकबा 144 बीघा 13 बिस्वा, 471 रकबा 210 बीघा 12 बिस्वा, 497 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा, 506 रकबा 81 बीघा 1 बिस्वा एवं 516 रकबा 13 बीघा किता 5 रकबा 464 बीघा 16 बिस्वा डोली बनाम मठ श्री महादेवजी खुदकाश्त बएतमाम पुजारी छोटूपुरी चेला कालूपुरी कौम गुसांई साकिन देह पुजारी मठ के नाम खातेदारी में दर्ज थी। नबल खतौनी बन्दोबस्त संवत 2022 से 2050 के अनुसार खसरा नम्बर–692 रकबा 8 बीघा, 694 रकबा 5 बीघा, 638 रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा, 642 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, 641 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा किता 5 रकबा 60 बीघा 14 बिस्वा मूलाराम, चेलाराम, गीगाराम पिसरान फताराम की खातेदारी में है। जिसके नये बन्दोबस्त में नये खसरा नम्बर पड़े हैं। मिलान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स/एल.आर./2001/4482/नागौर</u>** **सरकार बनाम मूलाराम**	
	क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर–638, 641, 642, 692, 694 साबिक खसरा नम्बर–471 व 516 से बने हैं जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हो गये हैं। यह परिवर्तन गैर कानूनी और अधिकार क्षेत्र के बाहर हुआ है तथा भूमिधारी को इसकी कोई पूर्व सूचना भी नहीं की गयी है जिसे निरस्त कराये जाने योग्य है। अतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स कराया जाकर उक्त गैर कानूनी हस्तान्तरण को निरस्त कराने की कार्यवाही हेतु पेश किया गया है। उक्त भूमि वास्तव में डोली बनाम मठ श्री महादेवजी वाके देह की थी। मन्दिर मूर्ति माफी को शाश्वत नाबालिग माना गया है इसलिये माफी मन्दिर मूर्ति द्वारा धारित भूमि का अंकन अन्य किसी व्यक्ति/संस्था के नाम नहीं हो सकता। अप्रार्थी किस प्रकार खातेदार बने इसका कोई सक्षम आदेश पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। बिना न्यायालय अथवा सक्षम आदेश के उक्त खातेदारी इंद्राज प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य हैं। अतः अप्रार्थी की खातेदारी निरस्त करते हुए विवादित भूमि डोली बनाम मठ श्री महादेवजी वाके देह के खाते में दर्ज की जावे। 3– बहस उभय पक्ष सुनी गयी। 4– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम बाकलिया में नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत 2006 के अनुसार खसरा नम्बर–469 रकबा 144 बीघा 13 बिस्वा, 471 रकबा 210 बीघा 12 बिस्वा, 497 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा, 506 रकबा 81 बीघा 1 बिस्वा एवं 516 रकबा 13 बीघा किता 5 रकबा 464 बीघा 16 बिस्वा डोली बनाम मठ श्री महादेवजी खुदकाश्त बएतमाम पुजारी छोटूपुरी चेला कालूपुरी कौम गुसांई साकिन देह पुजारी मठ के नाम खातेदारी में दर्ज थी। नबल खतौनी बन्दोबस्त संवत 2022 से 2050 के अनुसार खसरा नम्बर–692 रकबा 8 बीघा, 694 रकबा 5 बीघा, 638 रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा, 642 रकबा 8 बीघा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./2001/4482/नागौर** **सरकार बनाम मूलाराम**	
	14 बिस्वा, 641 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा किता 5 रकबा 60 बीघा 14 बिस्वा मूलाराम, चेलाराम, गीगाराम पिसरान फताराम की खातेदारी में है। जिसके नये बन्दोबस्त में नये खसरा नम्बर पड़े हैं। मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। जिसके अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर–638, 641, 642, 692, 694 साबिक खसरा नम्बर–471 व 516 से बने हैं। जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हो गये हैं। यह परिवर्तन गैर कानूनी और अधिकार क्षेत्र के बाहर हुआ है तथा समय पर भूमिधारी को इसकी कोई पूर्व सूचना भी नहीं की गयी है जिसे निरस्त कराये जाने योग्य है। अतः विवादित भूमि मंदिर मूर्ति की होने के कारण जो कि शाश्वत नाबालिग है और उस पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी का नाम गलत अंकन होने के कारण रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड से अप्रार्थी का नाम कलमजन कर मन्दिर श्री महादेवजी वाके देह का नाम दर्ज किया जाये। 5– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि जो रिकार्ड प्रस्तुत किया है वह जमाबन्दी है या खतौनी बन्दोबस्त, इसका पता चल नहीं रहा है। यह रिकार्ड किस संवत का है यह भी स्पष्ट नहीं है। इसलिये यह कहीं भी सिद्ध नहीं होता है कि संवत 2012 में भूमि मन्दिर की थी। प्रकरण अपूर्ण होने के कारण स्वीकार करने योग्य नहीं है। अप्रार्थी विगत 60 वर्षो से खातेदार व काबिज काश्त है इसलिये रेफरेन्स निरस्त किया जाये। 6– हमने विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 7– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि ग्राम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स/एल.आर./2001/4482/नागौर</u>** **सरकार बनाम मूलाराम**	
	बाकलिया में नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत 2006 के अनुसार खसरा नम्बर–469 रकबा 144 बीघा 13 बिस्वा, 471 रकबा 210 बीघा 12 बिस्वा, 497 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा, 506 रकबा 81 बीघा 1 बिस्वा एवं 516 रकबा 13 बीघा किता 5 रकबा 464 बीघा 16 बिस्वा डोली बनाम मठ श्री महादेवजी खुदकाश्त बएतमाम पुजारी छोटूपुरी चेला कालूपुरी कौम गुसांई साकिन देह पुजारी मठ के नाम खातेदारी में दर्ज थी। नबल खतौनी बन्दोबस्त संवत 2022 से 2050 के अनुसार खसरा नम्बर–692 रकबा 8 बीघा, 694 रकबा 5 बीघा, 638 रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा, 642 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, 641 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा किता 5 रकबा 60 बीघा 14 बिस्वा मूलाराम, चेलाराम, गीगाराम पिसरान फताराम की खातेदारी में है। जिसके नये बन्दोबस्त में नये खसरा नम्बर पड़े हैं। मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। जिसके अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर–638, 641, 642, 692, 694 साबिक खसरा नम्बर–471 व 516 से बने हैं जो अप्रार्थीगण की खातेदारी अपने नाम दर्ज हो गये हैं। यह परिवर्तन गैर कानूनी और अधिकार क्षेत्र के बाहर हुआ है तथा समय पर भूमिधारी को इसकी कोई पूर्व सूचना भी नहीं की गयी है जिसे निरस्त कराये जाने योग्य है। चूंकि विवादित आराजी माफी मंदिर की खुदकाश्त होने के कारण इस भूमि पर राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा–9 के प्रावधान लागू होंगे जिसके अनुसार पुजारी अथवा सिी भी व्यक्ति को कभी भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने के कारण उक्त भूमि पुजारी की खातेदारी में नहीं आ सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–45(4) व 46(1) के अनुसार उक्त भूमि पर मन्दिर मूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अतः जो आदेश पूर्व में जारी कर दिये गये हैं वे शून्य व अप्रभावी होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के हक में अंकन पूर्णरूपेण विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय हैं।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स/एल.आर./2001/4482/नागौर</u>** **सरकार बनाम मूलाराम**	
	8– फलस्वरूप रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम बाकलिया की उक्त आराजी के संबंध में अप्रार्थीगण के नाम खसरा नम्बर–692 रकबा 8 बीघा, 694 रकबा 5 बीघा, 638 रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा, 642 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, 641 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 60 बीघा 14 बिस्वा किये गये इन्द्राजात व तत्पश्चात अप्रार्थी उसके वारिसान एवं अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित की गयी समस्त जमाबन्दी / नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर पुनः **''डोली बनाम मठ श्री महादेवजी''** का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाये। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरिशंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./2001/4482/नागौर** **सरकार बनाम मूलाराम**	